

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 564]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2022—आश्विन 25, शक 1944

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2022

क्र. 1137-1388-2021-23-यो.आ.सां.—योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मध्यप्रदेश की अधिसूचना क्रमांक 307-3757-99-23-आसांसं, दिनांक 2 मार्च 2000 में आंशिक संशोधन करते हुए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1969 का. सं. 18) की धारा 30 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 के नियम 5 के तहत मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारूप में निम्नानुसार कालम जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है :—

(मृत्यु सूचना प्रारूप-2 में) :—

- मद क्र. 4 माता का नाम एवं माता का यू.आई.डी. नं. (यदि उपलब्ध है तो)
मद क्र. 5 पिता का नाम एवं पिता का यू.आई.डी. नं. (यदि उपलब्ध है तो)
मद क्र. 5 क पति / पत्नी का नाम व उनका यू.आई.डी. नं. (यदि उपलब्ध है तो)
मद क्र. 5 ख पति / पत्नी की आयु
मद क्र. 5 ग पति / पत्नी का सम्पर्क विवरण

(मृत्यु प्रमाण पत्र प्रारूप-6 में) :—

- नाम
मृतक का यू.आई.डी. नं. (यदि उपलब्ध है तो)
लिंग
मृत्यु की तिथि
मृत्यु का स्थान
मद क्र. 4 माता का नाम
माता का यू.आई.डी. नं. (यदि उपलब्ध है तो)
मद क्र. 5 पिता का नाम
पिता का यू.आई.डी. नं. (यदि उपलब्ध है तो)
मद क्र. 5 क पति / पत्नी का नाम
पति / पत्नी का यू.आई.डी. नं. (यदि उपलब्ध है तो)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक सिंह, उपसचिव.